प्रेषक,

संख्याः 1538/XXIV-3/17/O2(74)2016

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून, दिनांकः 16 जनवरी, 2018

विषयः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों के वेतन भुगतान हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक अर्थ–1/26698/5क(01)/09/2017–18, दिनांकः 23 नवम्बर, 2017 तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0:1-12/2017RMSA-III(GEN), दिनांकः 03 नवम्बर, 2017 तथा संयुक्त राज्य परियोजना निदेशक, रमसा के पत्रांकःरा0मा0शि0अ0/4468/53(V)TC/2017-18, दिनांकः 27 दिसम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्चीकृत/संचालित विद्यालयों में अद्यतन कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों के वेतन की वास्तविक धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट 'अ' की तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं मानक मदों में वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से स्तम्भ–4 में उल्लिखित केन्द्रांश एवं स्तम्भ–5 के अनुसार राज्यांश सहित स्तम्भ–7 के अनुसार कुल वेतन की **रूपये 2168.37 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ अड़सठ लाख सैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांकः 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2013, दिनांकः 28 मार्च, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार धनराशि का पृथक आवंटन/अलाटमेंट आई0डी0 के अंतर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। आवश्यक धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि भारत सरकार के उपरोक्त पत्रों में प्रदत्त निर्देशों/प्रतिबन्धों के अनुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में स्वीकृत कुल धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुरूप अनुमन्य मदों पर किया जायेगा।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/**XIV**–219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(6) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों/शर्तों के आलोक में शासन के वर्तमान वित्तीय व प्रशासकीय नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(7) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) किसी भी शासकीय व्यय हेतु जहां कही आवश्यक हो, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन अधिनियम) वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्यूवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(10) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशष रूप से पालन किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग के पश्चात् स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् राज्य के राजकोष में धनराशि का समायोजन किया जायेगा।

4– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 11 राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 109– राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 01–केन्द्र पुरोनिधानित, 03–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः126(म0)/XXVII(3)2017-18 ,दिनांकः 05 जनवरी, 2018 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1538/XXIV-3/17/02(74)2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,उत्तराखण्ड, देहरादून
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. वित्त विभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं 23–लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश सं0: 1538/XXIV-3/17/02(74)2016, दिनांक: 10 जनवरी, 2018 का संलग्नक:–

परिशिष्ट 'अ'

अनुदान सं0–11 राजस्व

(धनराशि रू0लाख में)

लेखा शीर्षक	मानक मद	बजट प्राविधान	पूर्व स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि		
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	2	3	4	5	6	7
2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 0103–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA 90प्रतिशत के0स0)(2202028000109 से स्थानान्तरित)	01–वेतन	8000.00	**1872.30**	1685.07	187.23	**1872.30**
	03–महंगाई भत्ता	500.00	**254.89**	229.40	25.49	**254.89**
	06–अन्य भत्ते	347.57	**41.18**	37.06	4.12	**41.18**
	योग–	**8847.57**	**2168.37**	**1951.53**	**216.84**	**2168.37**

कुल स्वीकृत धनराशि– रू0 2168.37 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ अड़सठ लाख सैंतीस हजार मात्र।)

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।